

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा II), उ. प्र.
ऑडिट भवन टी सी वी 35-1, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010

पत्र संख्या प्र म ले (लेखा परीक्षा -II) /पी सी-1/ का.आ./

दिनांक /04/2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या का. आ स. महा (आ.एवं रा. ले.प.)/प्रशा/पी. सी. -I/461 दिनांक 12.10.2017 के बिंदु संख्या 15 के अनुसार यात्रा भत्ता दावे में रेल तथा बस द्वारा की गयी यात्रा के पुनर्भरण के लिए टिकट की प्रति लगाए जाने अथवा PNR संख्या लिखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में उक्त उल्लिखित कार्यालय आदेश के बिंदु संख्या 15 को संशोधित करते हुए इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि यात्रा कार्यक्रम के अनुसार रेल तथा बस द्वारा की गयी यात्रा के पुनर्भरण के लिए टिकट की प्रति यात्रा भत्ता दावे के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त निर्देश इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

वरिष्ठ उप महालेखाकार /प्रशासन

संख्या प्र म ले (लेखा परीक्षा -II) /पी सी-1/ का.आ./५५

दिनांक 22-4-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/ए.एम जी -I, IV एवं प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (ले प -II) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार / ए एम जी -III एवं उप महालेखाकार /ए. एम जी -II, कार्यालय महालेखाकार (ले प -II) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ।
4. व.ले.प.अ./एस एफ ए आर, व.ले.प.अ./रिपोर्ट,।
5. व ले प अ /AMG-I/AMG-II/AMG-III/AMG-IV प्रोग्राम।
6. व ले प अ /सामान्य प्रशासन/पी सी /आई टी सेल /रिपोर्ट /आई टी ए।
7. व ले प अ / प्रशासन, शाखा कार्यालय प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को शाखा कार्यालय में परिचालित करें।
8. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी /आई टी सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. सूचना पट्ट।

A RO/ITell

25.4.22

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /पी सी